आपराधिक षड्यन्त्र = 120-A

(क) सामान्य विधि

भारतीय दण्ड संहिता का अध्याय 5(क) आपराधिक षड्यन्त्र के बारे में है। यह अध्याय आपराधिक विधि (संशोधन) अधि. 1913 के द्वारा जोड़ा गया किया गया है। इस अध्याय में मात्र दो धाराएं हैं 120-A व 120-B.

आपराधिक षड्यन्त्र एक सारवान अपराध है। यह दुष्प्रेरण से भिन्न है जैसे कि जो धारा 107 भा.द. संहिता के अन्तर्गत 'षड्यन्त्र द्वारा दुष्प्रेरण' गठित नहीं करते। आपराधिक षड्यन्त्र हो सकते हैं।

[illegible] सिंह, 1933 पटना में यह धारित किया गया कि जहां कोई आपराधिक षड्यन्त्र दुष्प्रेरण गठित करता हो, वहां धारा 120-A व 120 B आकर्षित न होंगी।

(ख) परिभाषा एवं आवश्यक तत्व :-

"[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

करार की विषय वस्तु अपराध न हो तब करार के अतिरिक्त कृत्य होना आवश्यक होगा।

धारा 120-A के परन्तुक के अनुसार –
किसी अपराध को कारित करने के अतिरिक्त कोई अन्य कृत्य तब आवश्यक होगा जबकि करार की विषय वस्तु कोई ऐसा कृत्य है जो अपराध न हो। जहाँ अपराध करने हेतु करार हो वहाँ ऐसा करार बिना किसी कृत्य के आपराधिक षड्यन्त्र होगा।

Act committed to other act when necessary
Agreement subject matter is not crime
Agreement for crime = No necessary of act. C.C.

धारा 120-A के स्पष्टीकरण के अनुसार यह तत्वहीन होगा कि अवैध कार्य ऐसे करार का अन्तिम उद्देश्य है या कि मात्र आनुषंगिक।

आपराधिक षड्यन्त्र किसी एक व्यक्ति द्वारा कारित नहीं किये जा सकते। पुनः यह भी आवश्यक है कि आपराधिक षड्यन्त्र करने वाले व्यक्ति हों, कृत्रिम व्यक्ति यह अपराध कारित नहीं कर सकते।

मौजूदा विधि में यह धारणा किया गया कि चूंकि आंग्ल विधि में पति व पत्नी एक ही व्यक्ति माने जाते हैं अतः जहाँ करार के पक्षकार पति स्वयं पत्नी ही हो वहाँ आपराधिक षड्यन्त्र गठित नहीं होगा।

अमेरिका विधिशास्त्र ठीक नहीं है। भारत में न्यायालयों ने इस बात को कभी मान्यता नहीं दी है कि पति व पत्नी एक ही व्यक्ति है। तेनतरी बनाम मोहन के प्रकरण में यह धारणा किया गया कि पति तथा पत्नी एक ही व्यक्ति नहीं है।

नज़ीरें

अपराधिक करार मात्र ही अपराध होगा इसमें आगे कोई अन्य कोई आवश्यकता नहीं है (7)

अतः पति व पत्नी के मध्य हुआ करार, अकेले इनको में अपराधिक षड्यन्त्र गठित करेगा।

यदि दो व्यक्तियों के मध्य अपराध कारित करने या करा देने का करार हुआ हो तो ऐसा करार स्वतः अपराधिक षड्यन्त्र गठित ~~नहीं~~ करेगा। किन्तु ऐसे मामलों में यह अपेक्षा नहीं करती आपराधिक अपराध या अन्य कोई कृत्य ऐसे करार के अनुसरण में किया गया हो।

जहाँ अभियुक्तगण के मध्य कोई कृत्य (जो अपराध नहीं) करने या करा देने का करार हुआ हो। वहाँ ऐसा करार स्वतः अपराधिक षड्यन्त्र न होगा। यह आवश्यक है कि ऐसे करार से भिन्न तथा अतिरिक्त कोई कृत्य करार के अनुसरण में किया गया हो।

बी० एन० मुखर्जी 1945 नागपुर में यह धारण किया गया कि अभियुक्त द्वारा साम्यवादी साहित्य का आधिपत्य एवं साम्यवादी सिद्धान्तों का अभिलाषन तथा साम्यवादी नेताओं के छायाचित्र जैसे प्रकट (Overt act) कृत्य के अभाव में दोषसिद्ध न होगा।

भगवानराम तथा अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2001) में धारण किया गया कि अपराधिक षड्यन्त्र के दो अभियुक्तों में से किसी एक की दोषमुक्ति, दूसरे अभियुक्त की दोषमुक्ति का आधार होगा क्योंकि यहाँ अपराधिक षड्यन्त्र हेतु न्यूनतम दो व्यक्तियों के होने की अपेक्षा प्रस्तुत है [illegible]।

आपराधिक विधि - अधिनियम, 1977 की धारा (
द्वारा भगतराम तथा अन्य बनाम राजस्थान राज्य, 1972
के प्रकरण में स्थापित विधि को अमान्य कर दिया गया
है। अब यह व्यवस्था कर दी गयी है कि दो
आरोपियों में से एक की दोषमुक्ति दूसरे आरोपी की
दोषमुक्ति का अनिवार्य आधार न होगा।

प्रद्युम्न मिश्रा, बनाम प्रद्युम्न के प्रकरण में दो
अभियुक्तों में से एक लोकसेवक था। दोनों ही
अपराधिक षड्यन्त्र के आरोपी थे, वह अभियुक्त जो
लोकसेवक था कि इस आधार पर दोषमुक्ति कर दी गयी
कि उस सम्बन्ध में धारा 197 भारतीय दण्ड संहिता के
अन्तर्गत शास्ति (sanction) प्राप्त किये बिना उसका अभियोजन
नहीं किया जा सकता। इस दोषमुक्ति के आदेश के
आधार पर सहअभियुक्त ने अपनी दोषमुक्ति की माँग की।
उसने यह तर्क दिया कि अपराधिक षड्यन्त्र के लिये न्यूनतम
दो व्यक्ति आवश्यक है। अतः अब उसका अभियोजन
सम्भव नहीं है। यह धारणा किया गया कि चूंकि एक
अभियुक्त की दोषमुक्ति तथ्यों पर आधारित न होकर
मात्र तकनीकी आधार पर थी। अतः दूसरा अभियुक्त
उसका लाभ नहीं ले सकता। चूंकि अभियुक्त के विरुद्ध
पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध थे। अतः उसे अकेले ही
अपराधिक षड्यन्त्र के लिये दोषसिद्ध किया गया।